मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-सी/6-6/95/95/3/एक भोपाल, दिनांक 3-1-1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराये जाने बाबत.

राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कभी-कभी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मौखिक आदेश/निर्देश एवं हिदायतें दे देते हैं और मौखिक दिये गये आदेशों/निर्देशों की पुष्टि नहीं कराई जाती है. इस प्रकार की पुष्टि नहीं कराई जाने से प्रकरण में उक्त आदेशों/निर्देशों का कोई उल्लेख ही नहीं रह जाता है.

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया है कि जब कभी भी उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये कोई मौखिक आदेश/निर्देश प्राप्त हो तो वे लिखित में उनसे पुष्टि करा लें और यदि आवश्यक हो तो उन परिस्थितियों को जिसके कारण ऐसे आदेश/निर्देश दिये गये हैं, संबंधित नस्ती पर लिखा जाना चाहिये.

अत: शासकीय कार्य के संपादन में उच्च अधिकारियों से प्राप्त मौखिक आदेशों/निर्देशों के पालन के पूर्व लिखित में उसकी पुष्टि अवश्य करायें जिससे जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से हो सके. मौखिक निर्देशों/आदेशों की पुष्टि के बिना यदि कोई कार्यवाही की जायेगी तो उसके लिये संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (2) (दो) में भी उक्त आशय के प्रावधान निहित हैं.

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(ए. एन. तिवारी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.